Vol 3 Issue 2 March 2013

Impact Factor : 0.2105

ISSN No : 2230-7850

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor

Ashok Yakkaldevi

Editor-in-chief

H.N.Jagtap

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
Volume 3, Issue. 2,March. 2013
ISSN:-2230-7850

Available online at www.isrj.net

ORIGINAL ARTICLE

''महिलाओं के प्रति अपराध : भारतीय परिदृश्य''

संगीता मेश्राम

सहायक प्राध्यापक,राजनीति शास्त्र,
शास. एस.एस.पी. महाविद्यालय, वारासिवनी, बालाघाट (म.प्र.)

सारांशः

नारी का मानव सृष्टी एवं समाज निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। नारी और पुरूष देनों एक–दूसरे के पूरक है। भारतीय समाज में नारियों की प्रस्थिति और समस्यायें बहुत भिन्नता रखती है। आदर्श एवं व्यवहार में भी बहुत अन्तर है। एक ओर नारी को देवीस्वरूपा, गृहस्वामिनी, अर्द्धांगिनी कहा जाता है और दूसरी ओर व्यवहार में पर–निर्भरता की स्थिति प्रकट होती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने 20 दिसम्बर 1993 को ''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के विलोपन की घोषणा'' को अंगीकार किया साधारण सभा ने यह माना कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, पुरूषों और महिलाओं के मध्य ऐतिहासिक शक्ति–संतुलन की असमानता का प्रतीक। समानता विकास व शांति प्राप्त करने में एक रूकावट है। इस वजह से घोषणा में यह प्रावधान किया कि '' राज्य महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की निन्दा करें और इसे दूर करने के अपने दायित्वों से बचने के लिये किसी प्रथा, परम्परा या धार्मिक विचार की दुहाई न दें। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद महिलाओं के उत्पीडन एवं महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या कम नही हो पा रही है।

यदि भारतीय संदर्भ में देखें तो समाज पुरूष प्रधान समाज रहा है अतः सामाजिक संरचना सामाजिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों व अंगों में पुरूष की प्रधानता रही व सामाजिक नियम व परम्परायें भी उन्हीं के अनुकूल रही।

आज 21वीं सदी की ओर अग्रसर भारत में महिलायें पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर परिवार, समाज एवं देश के आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक विकास में भागीदार है किन्तु इन सबके बावजूद आज वह हिंसा, दमन एवं उत्पीड़न का शिकार हो रही है।

स्वाधीनता के पश्चात् महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु कानूनों का निर्माण किया गया किन्तु धीरे–धीरे बढ़ती हुयी आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलायें अपराधों का शिकार है। दुष्कर्म, दहेज अपराध, प्रताडना, मृत्यु, अपहरण यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, हत्या जैसे अपराध बढ़ते ही जा रहे है।

सीमाएं

प्रस्तुत शोध–पत्र मे भारतीय परिदृष्य में महिलाओ के प्रति होने वाले अपराधों, महिला अपराधों के संदर्भ में विधि एवं दण्ड विधान एवं उपायों पर प्रकाश डालने की कोशिश की गयी है।

प्रस्तावना :

सुप्रसिद्ध विचारक अरस्तु ने कहा है '' नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति एवं अवनति निर्धारित है'' नारी का मानव सृष्टी एवं समाज निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। नारी और पुरूष देनों एक–दूसरे के पूरक है। भारतीय समाज में नारियों की प्रस्थिति और समस्यायें बहुत भिन्नता रखती है। आदर्श एवं व्यवहार में भी बहुत अन्तर है। एक ओर नारी को देवीस्वरूपा, गृहस्वामिनी, अर्द्धांगिनी कहा जाता है और दूसरी ओर व्यवहार में पर–निर्भरता की स्थिति प्रकट होती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने 20 दिसम्बर 1993 को ''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के विलोपन की घोषणा'' को अंगीकार किया साधारण सभा ने यह माना कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, पुरूषों और महिलाओं के मध्य ऐतिहासिक शक्ति–संतुलन की असमानता का प्रतीक। समानता विकास व शांति प्राप्त करने में एक रूकावट है। इस वजह से घोषणा में यह प्रावधान किया कि '' राज्य महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की निन्दा करें और इसे दूर करने के अपने दायित्वों से बचने के लिये किसी प्रथा, परम्परा या धार्मिक विचार की दुहाई न दें। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद महिलाओं के उत्पीडन एवं महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या कम नही हो पा रही है।

यदि भारतीय संदर्भ में देखें तो समाज पुरूष प्रधान समाज रहा है अतः सामाजिक संरचना सामाजिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों व अंगों में पुरूष की प्रधानता रही व सामाजिक नियम व परम्परायें भी उन्हीं के अनुकूल रही।

आज 21वीं सदी की ओर अग्रसर भारत में महिलायें पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर परिवार, समाज एवं देश के आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक विकास में भागीदार है किन्तु इन सबके बावजूद आज वह हिंसा, दमन एवं उत्पीड़न का शिकार है।

स्वाधीनता के पश्चात् महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु कानूनों का निर्माण किया गया किन्तु धीरे–धीरे बढ़ती हुयी आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलायें अपराधों का शिकार है। दुष्कर्म, दहेज अपराध, प्रताडना, मृत्यु, अपहरण यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, हत्या जैसे अपराध बढ़ते ही जा रहे है।

Title : *''महिलाओं के प्रति अपराध : भारतीय परिदृश्य''*
Source:Indian Streams Research Journal [2230-7850] *संगीता मेश्राम* **yr:2013 vol:3 iss:2**

DSpace™

भारतीय समाज में नारी :

भारतीय समाज में विभिन्न कालों में नारियों की स्थिति में अनेक उतार–चढ़ाव देखने को मिलते है।

पूर्व वैदिक काल की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में ऐसे संकेत मिलते है कि इस कालखण्ड में नारियों को समाज में बौद्धिक एवं आध्यत्मिक जीवन में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थें। वैदिक काल में महिला वर्ग की सामाजिक स्थिति सम्माननीय एवं आदरणीय थी।

प्रारंभिक मध्यकाल में भी महिला वर्ग की स्थिति सम्मानजनक थी किन्तु विदेशी आक्रमणकारियों के देश में आने के साथ ही स्त्रियों को पर्दे में रखा जाने लगा मध्यकाल में आक्रमणकारियों के कारण समाज असुरक्षित हो गया। विदेशी आक्रांताओं की कुदृष्टि से बचने अथवा बचाने हेतु नारी को पर्दे में रखा जाने लगा। पूर्व मुगल काल में भी भारत में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, उनको वे सब अधिकार प्राप्त थे जो पुरूषों को प्राप्त थे। हिन्दू, मुस्लिम समाज में स्त्रियों के प्रति अवधारणा समान रूप से सम्मानजनक थी। धीरे–धीरे स्त्रियों की स्थिति निम्न होती चली गयी।

भक्तिकालीन आंदोलन के बाद से ही भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु भारतीय समाज सुधारकों ने आवाजे उठायी सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक कुसंस्कारों के विरूद्ध सामाजिक आंदोलन चलाये गयें एवं विधवा पुनर्विवाह, स्त्रिशिक्षा के प्रसार के लिये राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर सहित अनेक समाज सुधारकों ने प्रयास किये।

भारत की स्वतत्रंता के समय समाज में स्त्रियों की स्थिति चिंताजनक थी परिवार में उसकी स्थिति महत्वहीन हो चुकी थी। देश में अशिक्षा अज्ञानता, पिछडापन, छूआछूत, सामाजिक कुरितियों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। स्त्रतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति व्यापक बदलाव आया। उन्हें अनेक कानूनी संरक्षण प्राप्त हुये। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं संरक्षण के लिये बनाये गयें कानून महिला शिक्षा के प्रसार एवं बढती हुयी आर्थिक स्वतत्रंता के पश्चात भी वर्तमान भारतीय समाज में महिलायें अपराध एवं हिंसा का शिकार हो रही है।

महिलाओं के प्रति अपराध :

भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है जो इस प्रकार से है –

1.अपराधिक हिंसा– दुष्कर्म, अपहरण, हत्या।
2.घरेलू हिंसा– दहेज संबंधी हत्या, पत्नी को पीटना, विधवा व वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, लैगिंक दुर्व्यवहार आदि।
3.सामाजिक हिंसा– भ्रूण हत्या, छेड़छाड़, दहेज के लिये उत्पीड़न सम्पत्ति में हिस्सा न देना आदि।

भारत में प्रत्येक 20 मिनट में महिलाओं के प्रति एक अपराध की घटना होती है। प्रतिवर्ष लगभग 1500 महिलाओं के अपहरण के मामले होते है। प्रतिवर्ष लगभग 5000 हत्यायें दहेज से संबंधित होती है।

भारत में यूनीसेफ के वर्ष 2008 के आंकड़ों के अनुसार 45 प्रतिशत पुरूष अपनी पत्नियों को शारिरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं विश्वस्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 16 वर्ष से उपर की 1.9 प्रतिशत किशोरियॉ यौन शोषण की शिकार हो चुकी होती है।

सन् 2011 में भारत में 24,206 मामले दुष्कर्म के, महिला अपहरण के 35,565 मामले, दहेज हत्या के 8618 मामले, दहेज संबंधी अपराध के 6619 मामले, पति और परिजनों द्वारा क्रूरता के 99135 मामले तथा 51503 छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और स्त्रि अस्मिता पर आक्रमण के मामले सामने आये है।

किन्तु महिला अपराधों के संदर्भ में संभव है कि सभी अपराधों को पिड़ित महिला अथवा उसके परिवार द्वारा पुलिस में दर्ज नही कराया जाता कई बार घरेलू मामलों अथवा अपराधों को लोक लाज के डर से भी उजागर नही किया जाता है।

भारत में महिला अपराध विधि एवं दण्ड :

भारतीय दण्ड संहिता में महिला अपराधों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कानूनों को लागू किया गया है एवं दण्ड का विधान है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अनुसार दुष्कर्म एक दण्डनीय अपराध है एवं इसके लिये 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कैद, आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है। धारा 366 के अनुसार महिला को बलपूर्वक या कपटपूर्वक धोखाधड़ी करके बहला फुसलाकर ले जाने, धारा 366– । के अनुसार नाबालिग लडकी को कब्जे में रखने पर दोनों ही अपराधो में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। भा.दं.वि. की धारा 302 में हत्या के विरूद्ध दण्ड में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

दहेज, मृत्यु के प्रकरण जो भा.दं.वि. की धारा 304–बी के अंतर्गत आते है इसमें आजीवन कारावास की सजा होती है। आत्महत्या के लिये दबाव डालने संबंधी धारा 306 में 10 वर्ष कारावास तक की सजा होती है। इसी संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि विवाह के सात वर्ष के भीतर यदि महिला की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो अपराधी के विरूद्ध धारणा बनायी जानी चाहिये।

पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला पर क्रूरता के संबंध में भा.दं.सं. की धारा 498–ए के अनुसार 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, महिला की शालीनता भंग करने के प्रयासों पर भा.दं.सं. की धारा 354 के अनुसार 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। पहली पत्नी के जीवित होते हुये दूसरी शादी करने पर भा.दं.सं. की धारा 494 के तहत 7 वर्ष तक की सजा एवं महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द या अशलील हरकते करने पर भा.दं.वि. की धारा 509 के अनुसार 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, सरकार द्वारा 1 जनवरी 1996 से भ्रूण लिंग परिक्षण को गैर कानूनी घोषित किया गया है एवं सजा के तौर पर 1,000 से 5,000 रू जुर्माना एवं एक साल तक की कैद का प्रावधान है एवं संबंधित संस्था का लाइसेंस निरस्त कर देने का प्रावधान है। केवल कुछ चिकित्सकीय मामलों में परिक्षण हेतु छूट दी गयी है। जैसे क्रोमोसोम संबंधी विकृतियों वंशानुगत होने वाली बिमारियों, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले यौन शोषण, हिमोग्लोबिन क्षीण एवं जन्मजात विकृतियों संबंध में।

महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराधों कें कारण :

पुरूष प्रधान समाज में पुरूष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति एवं पुरूषत्व साबित एवं स्थापित करने के लिये अत्याचार करता है। स्त्री शिक्षा में कमी, बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा, दहेज–प्रथा, साक्ष्यों एवं औपचारिकताओं की लम्बी प्रक्रिया। महिलाओं के प्रति अपराधो में वृद्धि के साथ–साथ दोषमुक्ति कि संख्या भी अधिक है यह स्थिति दूर्भाग्यजनक है।

त्रासदी यह भी है कि यदि महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो या कोई असम्मानजनक कृत्य जिससे उसे मानसिक चोट पहुँची है परन्तु दुष्कर्म नही हुआ हो तो कानून की निगाह में यह कोई बड़ा अपराध नही है। कठोर कानूनों के अभाव में भी इस तरह के अपराधों की समाज

में पुनरावृत्ति होती है।
कई वर्षों तक केस की सुनवाई होने के कारण कई बार गवाह दूर जाते है एवं प्रमाण भी नष्ट हो जाते है।

उपाय :

1.महिलाओं के प्रति सोच एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक बिंदू है परिवार में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जगाने का बीज बोया जा सकता है।
2.वैधानिक सुधार एवं कानूनी रूप से सख्त कानूनों का निर्माण एवं अपराधों के लिये फास्ट ट्रेक कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई हो।
3.नारी शिक्षा का प्रसार तथा स्त्रियों को स्वयं के प्रति हुये अपराधों के प्रति आवाज उठानी होगी एवं सशक्तिकरण के मार्ग खोजने होंगे। नारी संगठनों को प्रोत्साहन एवं सहायता महिलाओं के प्रति अपराध को कम करने समाजिक संगठनों द्वारा जागरूकता का कार्य।

निष्कर्ष :

महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध कानूनों में दण्ड विधान के पश्चात भी लगातार जारी है महिलाओं का उत्पीड़न शोषण, अपहरण, वेश्वावृत्ति के लिये बेच देना, मारपीट, सरेआम अपमानित करना, दहेज के लिये हत्या, जला देना, तेजाब फेंक देना ये सभी अपराध हमारे, सभय समाज के माथे पर कलंक की तरह है। महिलाओं को उत्पीड़ित करना आज एक आम समस्या बनके रह गयी है। जिसे कठोर कानून, महिलाओं में जागरूकता समाज में स्त्री–पुरूष समानता एवं पुरूषों की मानसिकता में परिवर्तन लाकर रोका जा सकता है। भारतीय नारी परिश्रम से नही घबराती। किन्तु अपमान एवं शोषण उसे स्वीकार्य नही है। अब समाज में परिवर्तन का वह समय आ गया है। जब महिलाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के प्रभावी कदम उठाये जाये

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1.चयन : संपदन, रायजादा डॉ. अजीत (2000) ''महिला उत्पीडन समस्या और समाधान'' मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, मध्यप्रदेश, पृ. क्रं. 1,38, 39,119,129,140।
2.शर्मा प्रज्ञा (2004) ''महिलायें, लौगिंक असमानता एवं अपराध'' अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीव्यूटर्स जयपुर, पृ. क्र. 10, 11, 15–18, 115–120।
3.शर्मा रमा, मिश्रा एम. के. (2012) ''महिलाओं के कानूनी धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार'', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, पृ. क्र. 55, 79–81, 205–209, 239।
4.गुप्ता मंजू, गुप्ता सुभाषचन्द्र (2011) ''भ्रूण–हत्या और महिलायें'', अर्जुन पब्लिसिंग हाउस नई दिल्ली, पृ. क्र. 98–99।
5.मुखर्जी राधा कमल –(2009) ''चिन्तन परम्परा'' समाज विज्ञान संस्थान, चांदपुर, बिजनौर (उत्तर प्रदेश), पृ. क्र. 69–70।
6.सोनबेट बसंत कुमार (2011) ''भारत में सामाजिक समस्यायें'', मानव नवनिर्माण संस्थान, कंचन बाग, राजनांदगांव, (छत्तीसगढ़), पृ. क्र. 101–102।
7.महाजन डॉ. धर्मवीर, महाजन डॉ. कमलेश (2005) ''यूनीफाईड समाजशास्त्र'' विवेका प्रकाशन दिल्ली, पृ. क्र. 121–122।
8.दैनिक भास्कर, ''मधुरिमा'', (2 जनवरी, 2013), पृ. क्र. 7–8।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net